(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि दिल्ली पुलिस द्वारा, कानून का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जो कानून और प्रशासन की सहायता करता है, परेशान न किया जाये?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान समाचार में उल्लेख है कि त्रिनगर निवासी एक श्री सुरेन्दर कुमार, जिसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 8.4.1989 को त्रिनगर में दो व्यक्तियों के पास से चरस पाई गई थी; को दिल्ली पुलिस द्वारा पुरस्कृत करने के स्थान पर परेशान किया जा रहा है तथा दिल्ली पुलिस दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी का संपूर्ण इनाम लेने का दावा कर रही है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि सूचना प्राप्त होने के बाद दो व्यक्तियों के पास से एक कि० ग्रा० हीरोइन तथा 2 कि० ग्रा० चरस बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया तथा सरस्वती बिहार पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए। सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा बरामदगी की गई थी। पुलिस के अनुसार, सुरेन्दर कुमार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गिरफ्तारियां नहीं की गई थी।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि कानून का पालन करने वाले ऐसे किसी भी नागरिक को जो कानून और प्रशासन की सहायता करता हो, परेशान नहीं किया जा रहा।

आतंकवाद की रोकथाम करने में इजरायल से सहयोग

3621. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में आतंकवाद की रोकथाम करने के लिये इजरायल से सहयोग प्राप्त करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा बनायी गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) चूंकि "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है अतः कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए ठोस उपाय करना और विभिन्न तरीके खोजना राज्य सरकारों का कार्य है । केन्द्रीय स्तर, पर विभिन्न राज्यों के आतंकवाद-विरोधी अभियानों को समन्वित करने, और राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में लाभप्रद सूचनाओं का राज्य सरकारों को भेजने के कार्य में सुधार करने की कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में जब कभी आवश्यक होता है राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता दी जाती है।

Withdrawal of Border Security Force from Borders

3622. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Border Security

Force (BSF) personnel have been withdrawn from international border, both in the East and the West, for deployment elsewhere ;

(b) whether this withdrawal has led to a large scale infiltration of foreigners on Indo-Bangla Border and a spurt in smuggling activities ; and

(c) if so, what action Government have taken to strengthen the security arrengements on the borders ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Yes, Sir.

(b) There has been an increase in the number of persons apprehended and value of contraband goods seized.

(c) The measures taken include increase in the number of patrols and Nakas, erection of OP Towers all along international border, supply of night vision devices, bionaculars hand held search lights etc. to the troops deployed on the border for better observations and strict vigilance intensification of border patrolling including those in the riverine areas, erection of border security fence and flood lighting along the sensitive stretches on the international border on the Western Sectors, barbed wire fencing and construction of border roads in the sensitive areas of the Eastern frontiers, erection of wire obstacles in sensitive areas to impede the entry of infiltrators/smugglers, gearing up the intelligence set up of the Border Security Force etc.

Foreign Contributions

3623. DR. SANJAYA SINH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the amount of foreign contributions received in the country during the last three years till date, State/Union Territory-wise and year-wise, and

(b) the specific items, Schemes and projects for which the foreign contributions have been utilised in each of those States/Union Territories during that period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Statewise information of foreign contribution received during the years 1987, 1988 and 1989 for which computerised data is available is given in statement-I (*see* below)

(b) A list of 23 purposes for which foreign contribution is received/utilised is given in Statement-II.

Statement-I

Statewise receipt of foreign contribution

Sl. No.	State	Amount (In Rs. thousand)		
		1987	*1988*	*1989*
1	Andaman & Nicobar	6968	4301	2522
2	Andhra Pradesh	488943	715998	756375
3	Assam	36288	48067	53501
4	Bihar	204401	227341	277081
5	Chandigarh	4970	916	